भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1194
उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित हुए बच्चे

1194. **श्री एन. बालगंगा:**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षो और वर्तमान वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.) से राज्य-वार और वर्ष-वार कितने विद्यालय और बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या इस योजना को शुरू करने के बाद विद्यालयों में नामांकन में वृध्दि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी वृध्दि का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य और केन्द्र के बीच मौजूदा निधियन पैटर्न क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास उन छात्रों के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए कोई निगरानी तंत्र है जिन्हें इस योजना से लाभ मिल रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ0 डी. पुरंदेश्वरी)

(क): सूचना अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग): स्कूलों में छात्रों का नामांकन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण के क्षेत्र में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ-साथ आर्थिक विकास, जनसांख्यिकीय बदलावों, प्रारंभिक शिक्षा में निजी क्षेत्र के विस्तार आदि पर निर्भर करता है।

(घ): खाद्यान्न, परिवहन सहायता, अनुवीक्षण, प्रबंधन तथा मूल्यांकन और रसोईघर के उपकरणों की लागत पूर्णत: केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। भोजन पकाने, रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय के भुगतान तथा रसोईघर-सह-भंडारों के निर्माण की लागत केन्द्र सरकार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में और केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 75:25 के अनुपात के आधार पर बांटी जाती है।

(ड.) और (च): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ मिलकर छात्रों का वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड, विटामिन ए की गोलियां तथा कृमिनाशक गोलियां भी दी जाती हैं। राज्यों के साथ कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के दौरान इसकी समीक्षा की जाती है।

अनुबंध

मध्याह्न भोजन योजना से लाभांवित हुए बच्चों के संबंध में श्री एन. बालगंगा द्वारा दिनांक 23.03.2012 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1194 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तथा 2011-12 की दूसरी तिमाही के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल संस्थाओं तथा बच्चों की संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		शामिल संस्थाएं	लाभान्वित बच्चों की संख्या	शामिल संस्थाएं	लाभान्वित बच्चों की संख्या	शामिल संस्थाएं	लाभान्वित बच्चों की संख्या	शामिल संस्थाएं	लाभान्वित बच्चों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	78021	6342088	78716	6107962	79355	6304239	79355	5937091
2	अरूणाचल प्रदेश	5026	181349	4431	174379	4431	269002	4358	268974
3	असम	48251	2764934	54175	4132618	54912	4515884	63192	4650092
4	बिहार	78485	11059009	92209	11241336	71772	9877617	71772	9204598
5	छत्तीसगढ़	47175	3388316	47349	3027221	47694	3861048	47729	3868950
6	गोवा	1117	73691	1545	163208	1564	156716	1559	155407
7	गुजरात	60194	3935214	57784	3820600	33609	3877695	60834	4077133
8	हरियाणा	17353	1873000	14703	1993615	15434	2005680	15783	2114515
9	हिमाचल प्रदेश	15176	810234	13459	741014	15104	715750	15096	657610
10	जम्मू और कश्मीर	25355	1169082	21504	1011868	22416	840044	22613	738695
11	झारखंड	50497	3880569	52138	4031582	40698	3231921	40864	3294091
12	कर्नाटक	55328	5683056	55104	5502935	56384	5216970	56632	5314957
13	केरल	17387	3087558	17387	2902204	17387	2781617	17387	2676076
14	मध्य प्रदेश	109980	8869953	112439	9003584	114038	8655943	114102	8058896
15	महाराष्ट्र	125511	10933868	122018	12187761	120352	10634199	120960	10605330
16	मणिपुर	3408	227691	3042	225718	2966	230135	2893	208616
17	मेघालय	10074	399975	10074	471738	10074	459778	10074	485474
18	मिजोरम	2312	152969	2412	150569	2496	151718	2506	168898
19	नागालैंड	2188	214893	2223	221368	2751	271144	2261	260800
20	उड़ीसा	85323	6150492	78925	5525792	66773	5227152	86177	4291329
21	पंजाब	21516	1923323	22648	1855841	22486	1753660	22035	1873200
22	राजस्थान	101732	8071477	80670	5982376	80670	5781398	79845	5699437
23	सिक्किम	1243	102237	873	89432	879	94855	878	92921
24	तमिलनाडु	47122	5022030	42632	5026843	42435	4274715	37802	3992373
25	त्रिपुरा	5006	401954	5629	468621	6510	435093	6510	444351
26	उत्तराखंड	17484	975111	17816	850551	17927	801909	17978	841534
27	उत्तर प्रदेश	145082	13442006	152501	12713580	153527	11314277	157879	11946485
28	पश्चिम बंगाल	76959	9262285	79579	9216678	82867	9503404	84050	13390861
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	478	47207	343	36900	345	32449	345	29921
30	चंडीगढ़	400	74898	311	61311	311	58182	116	55701
31	दादर और नगर हवेली	359	30853	360	35261	282	34569	454	34688
32	दमन और दीव	136	15308	127	15227	96	15298	97	15520
33	दिल्ली	3546	1187021	3005	1318353	3518	1150332	3496	1240226
34	लक्षद्वीप	53	10798	54	10192	54	9035	41	9608
35	पुदुचेरी	461	93650	383	91298	457	88138	467	87405
	कुल	**1259738**	**111858099**	**1248568**	**110409536**	**1192574**	**104631566**	**1248140**	**106791763**